(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन अपीलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या उपाय किए हैं ; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निपटाई गई अपीलों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : (क) और (ख) प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों अर्थात् उप आयकर आयुक्तों (अपील) तथा आयकर आयुक्तों (अपील) द्वारा अपीलों का निपटान यथाशीघ्र किए जाने हेतु सभी संभव उपाय किए जाते हैं । इन प्राधिकारियों को पुरानी अपीलों तथा ऐसी अपीलों के निपटान को प्राथमिकता देनी अपेक्षित होती है, जिनमें पर्याप्त राजस्व अन्तर्ग्रस्त हो । सरकारी पक्ष को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें अत्यंत चयनात्मक आधार पर तथा जिनमें भारी भरकम राजस्व अन्तर्ग्रस्त हो, उन्हें ही दायर करना अपेक्षित होता है तथा ऐसा केवल कड़ी संवीक्षा के पश्चात ही किया जा सकता है ।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निपटाई गई अपीलों की संख्या निम्नानुसार है :—

वित्तवर्ष	उप-आयकर आयुक्त (अपील)	आयकर आयुक्त (अपील)	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
1989–90	73,333	90,202	58,885
1990–91	88,918	90,599	54,976
1991–92	82,367	94,029	60,167

Appointment of Chief Executive of Andhra Bank

3468. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI N. GIRIPRASAD :
DR. YELAMANCHILI SIVAJI :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the candidature of Mr. A. T. Akolkar, presently Executive Director of Andhra Bank was recommended by the Banking Appointments Committee and his Ministry for the post of Chief Executive of the Andhra Bank, despite the involvement of the Andhra Bank and its subsidiary the Andhra Bank Financial Services Ltd. in the security Scam.

(b) whether it is a fact that the Prime Minister has blocked the appointment; and;

(c) if so, what are the reasons therefor and what action has been taken against the officials involved in this selection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) to (c) A proposal was submitted for appointment of Shri A. T. Akolkar, Executive Director, Andhra Bank as Chairman and Managing Director, Andhra Bank in November, 1992. The proposal was submitted after obtaining necessary vigilance clearance as required and after taking into account his suitability for the post. The proposal has not been approved by the Appointments Committee of the Cabinet. It would not be in public interest

to disclose further details asked in the question.

Excise duty paid by Fan Manufacturers

3469. DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Government's attention has been drawn to the news-item captioned Fan units decry competition from unorganised sector published in the Economic Times of the 30th January, 1993;

(b) what is the number of fan manufacturing units in the organised sector and excise duty paid by them annually together with the estimated number of unorganised units not paying excise duty and the loss to Government in terms of excise duty;

(c) whether the Fan Makers association of India have represented to Government to reduce the excise duty on the fans; and

(d) if so, what are the decisions taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) Yes, Sir.

(b) Figures of revenue collection are maintained chapter-wise of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 and not commodity-wise and as such, the number of fan manufacturing units in the organised sector and the duty of excise paid by them, are not available. The small scale units are exempted from registration and no records thereof, are maintained. Exemption from payment of duty of excise to small scale units is a State policy and hence, non-payment of duty of excise by such units cannot be called loss of revenue.

(c) Yes, Sir.

(d) As part of Budgetary proposal for the 1993-94, the duty of excise on electric fans stands reduced.

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय आवंटन

3470. श्री ईश दत्त यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह **सच** है कि केन्द्र सरकार द्वारा गत वर्ष की तुलना में, उत्तर प्रदेश राज्य को धन के वर्तमान आवंटन में कटौती किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान धन राशि के आबंटन का ब्यौरा क्या है, और

(घ) चालू वर्ष के दौरान आवंटन की धन-राशि में कटौती किए जाने के कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) से (घ) किसी राज्य की वार्षिक योजना का वित्त पोषण उसके अपने संसाधनों और केन्द्रीय सहायता (जिसमें बाजार उधार, वार्तालय ऋण, योजना राजस्व घाटा–अनुदान, केन्द्रीय योजनागत सहायता आदि शामिल हैं। (द्वारा किया जाता है) वर्ष 1989–90 से 1992–93 तक के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण के लिए राज्य के अपने संसाधनों और केन्द्रीय सहायता के आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है (नीचे देखिये)।

1991–92 की वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिए राज्य के अपने संसाधन (–) 329.62 करोड़ रु० के थे और आबंटित केन्द्रीय सहायता 4029.62 करोड़ रु० की थी जिसमें सामान्य आबंटनों से बाहर वाली 787 करोड़ रु० की सहायता राशि भी शामिल है जो वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन थी। तथापि, 787 करोड़ रु० का विशेष–योजनागत ऋण वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा आवंटन नौवें वित्त आयोग (द्वितीय रिपोर्ट) की सिफारिश पर न होकर उनके सुझाव पर आधारित था, जिसे किसी भी राज्य के मामले में स्वीकार नहीं किया गया था। अतः उत्तर प्रदेश की 1991–92 की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता 3242.62 करोड़ रु० रही। राज्य की 1992–93 की वार्षिक योजना के लिए राज्य के अपने संसाधन 12.42 करोड़ रु० के थे और केन्द्रीय सहायता 3840.58 करोड़ रु० थी। वार्षिक योजना 1992–93 के वित्त पोषण हेतु कोई विशेष योजनागत ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है।